भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2002

जिसका उत्तर 11.12.2025 को दिया जाना है

राजमार्ग की ज़मीन पर अनधिकृत कब्ज़ा

2002. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को राजमार्ग की भूमि पर अनधिकृत कब्जों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने और गश्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों की निगरानी टीमें बनाने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्चतम न्यायालय के निर्देश को लागू करने और राजमार्ग की ज़मीन पर अनधिकृत कब्ज़े को रोकने के लिए एनएचएआई ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) 2019 की रिट याचिका (सिविल) 1272 के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को पुलिस अधिकारियों की निगरानी टीमों के गठन सहित राष्ट्रीय राजमार्गों से अनधिकृत कब्जों को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में, सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसियों के क्षेत्रीय अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों के निरीक्षण के लिए पुलिस उपायुक्तों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय में स्थानीय पुलिस सहित निगरानी दल गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया है कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनधिकृत कब्जों की रोकथाम और उन्हें हटाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक सहयोग और सहायता प्रदान करें।

सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 06.10.2025 के राजपत्र अधिसूचना का.आ.4540 (अ) के तहत राजमार्ग प्रशासन निकाय का पुनर्गठन किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि एवं यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 26, 27, 36 एवं 43 के अंतर्गत अनधिकृत कब्जों को हटाने का अधिकार भी जिला मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया है ताकि अनधिकृत कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनधिकृत कब्जों की पहचान, रिपोर्टिंग और हटाने के लिए राजमार्ग प्रशासन नियम,2004 के तहत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) 07.08.2025 भी जारी की है। इसके अतिरिक्त, संविदाकार/रियायतग्राही/प्राधिकरण अभियंता/स्वतंत्र अभियंता/पर्यवेक्षण परामर्शदाता और

राजमार्ग प्रशासन की ओर से अधिकृत अधिकारियों के उत्तरदायित्व, जैसा कि संबंधित करार में परिभाषित है, पुनः निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, नियमित निगरानी के लिए एआई-आधारित डेटा विश्लेषण और हवाई चित्रण के साथ-साथ समय-समय पर ड्रोन सर्वेक्षण के प्रावधान भी किए गए हैं।

अतिक्रमण/अवैध कब्जे की रिपोर्टिंग में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राजमार्ग यात्रा ऐप उपलब्ध कराया गया है और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।

*****